

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1424 / 2022

दिनांक : 21.04.2022

श्री मुकेश कुमार सांवरिया (RJ1202), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) हाल न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली) को दिनांक 02.08.2021 से 05.08.2021 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.08.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सांवरिया की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
21.04.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक 21.04.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/67/2017/ 3133

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 6930 दिनांक - के सन्दर्भ में ।
3. श्री मुकेश कुमार सांवरिया (RJ1202), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) ।

21.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार